

कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर (वे०) / १५-क / ३५०/०८ / गान्धी / २०२०-२१ / दिनांक २० अगस्त २०२०

सेवा भे.

प्रभान्तक / स्वास्थ्यपक्ष / गान्धी,
हिम ज्योति रघूल,
७, भील का पत्थर, राहरक्कारा रोड, देहरादून।

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम १७ में उपनियम (६) के अन्तर्गत विद्यालय नी गान्धी या प्रगाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र के त्राना में आपरो किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय हिम ज्योति रघूल, ७, भील का पत्थर, राहरक्कारा रोड, देहरादून को कक्षा ०५ से कक्षा ०८ तक (एंगलो इंडियन, अंग्रेजी गान्धी) संचालन हेतु ०५ वर्षों दिनांक 20.08.2020 से 31.08.2025 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी :-

१. भान्धाता विस्ती भी परिस्थिति में कक्षा ०८ तक की रींगा के बाहर मान्य नहीं होगी।

२. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

३. विद्यालय अपनी कक्षा-१ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।

४. उपरोक्त क्रम संख्या-३ पर वर्णित बच्चों के नामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।

५. रास्ता / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता / अभिभावक का साधात्कार नहीं किया जाएगा।

६. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

७. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे-

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(चार) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम ३५ के उपनियम (१) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

(छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) तथा नियमावली के नियम ३१ में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(रात) शिक्षक, निजी-रतार पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (दृश्यानन्द) में संलग्न नहीं होंगे।

८. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

९. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

१०. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में उद्धृत गानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध रुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा-

- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;

- कुल निर्भित क्षेत्र;

- खेल के मैदान का क्षेत्र;

- कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;

- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;

- बालक तथा यालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;

- पेयजल की सुविधा;

- मस्तान भोजन के लिए रसोई-घर;

PRINCIPAL

HON. SECRETARY

- बाधा रहित पाँडुग,
 - शिक्षण अधिगम रामायी/छोल-गूद उपकरण/पुस्तकालय की साक्षाता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल सौचार्य परिवर्तन में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम के अन्य कई विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा ऐदान का उपयोग केवल शैक्षणिक प्रतिविधि हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या ऐदान का उपयोग किसी प्रकार के आवायालय कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत विवरित सोसाइटी के द्वारा अथवा विस्तीर्ण निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रबंधक द्वारा के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के रांग अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित विधि के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तेपार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष पुस्तक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1188 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्दृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मौगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के सार से मान्यता की गती की नियन्त्रण पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता तीन/पांच वर्ष के लिए की गयी है, उक्त अधिनियम समाप्त होने से पांच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में राष्ट्रीय उत्तरदायित विद्यालय/संस्था का होगा।

भवदीय


80/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।


/मान्यता/2020-21 तादिनीक।

पृ०सं०: शिविर(व०)/15-क/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (गा०), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर०टी०ई० नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकांता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन करना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएँ विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पढ़ने पर सूचनाएँ आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।


Mr. S. K. Malhotra
HOD - SECRETARY PRINCIPAL


(आर०एस०रावध)
जिला शिक्षा अधिकारी (गा०गिं०)
देहरादून।